



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/Admn/Coord/Cell/02/2011

Dated: 31st October 2011

CORPORATE ADMINISTRATION CIRCULAR NO. 04/2011

Sub: Meetings etc. in office premises.

The Management has been receiving requests from Union and Associations from time to time seeking permission to hold the meetings, gathering etc. in office/operational premises. Such requests are received not only at CHQ but also in Regional Headquarters as well as in Airports and other unit offices.

The issue has been deliberated upon and on examining all aspects of the subject, it has been mooted that AAI, being in service sector, has a distinct public interface and, therefore, it is incumbent upon all employees to conduct themselves in a befitting manner so that the general public carries a positive and respectable perception about the Authority. Besides, for security reasons also, it is not found advisable to hold such meetings etc. within office/operational premises.

In view of above, it has been decided not to grant permission for holding meetings etc. by Union/Associations within the office/operational premises. All concerned are requested to extend co-operation.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(T. PREMNATH)

EXECUTIVE DIRECTOR (ADMN.)

Distribution:

The Regional Executive Director,
Northern/Southern/Western/Eastern/NE Region.

The Airport Director,
Kolkata/Chennai.

The Principal, CATC, Allahabad.

The Executive Director, RCDU/FIU/IT/LM/Internal Audit/Ops.

The Director, IAA (NIAMAR)

The Executive Director, HR

OSD to Chairman,

EA / PS to Member(Ops)/Member(Fin)/Member(HR)/Member(Plg)/CVO

Gen. Secretary, AAEU

All Officers Associations- G.S. AAOA(I)/AAIOA/ACOA(I)/ATC Guild (I) AAI Engg. Guild (I) AAI
SC&ST EWA



फाइल सं० एएडी/प्रशासन/सम०सैल/०२/२०११

दिनांक ३१-१०-२०११

निगमित प्रशासन परिपत्र सं० ४/२०११

विषय : कार्यालय परिसर में बैठकें इत्यादि ।

प्रबंधन के पास समय-समय पर यूनियन तथा एसोसिएशनों से उनके द्वारा बैठकें, सभा इत्यादि आयोजित करने हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे अनुरोध केवल निगमित मुख्यालय ही नहीं अपितु क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा हवाई अड्डों व अन्य इकाइयों में भी प्राप्त होते रहते हैं ।

इस मामले पर विचार किया गया तथा विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवा क्षेत्र में कार्यरत है तथा इसकी जनता के बीच विशिष्ट पहचान है, अतः सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि वे उपयुक्त आचरण करें जिससे कि जनसाधारण में प्राधिकरण के बारे में एक सकारात्मक व सम्मानजनक संदेश जाए। इसके अतिरिक्त सुरक्षा कारणों से भी कार्यालय/प्रचालन परिसर में इस तरह की बैठकें इत्यादि करना उचित नहीं होगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय/प्रचालन परिसर में यूनियन/एसोसिएशनों द्वारा बैठकें इत्यादि करने की अनुमति न दी जाए। सभी संबंधितों से सहयोग का अनुरोध है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(टी. प्रेमनाथ)

कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)

वितरण

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक

उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्व क्षेत्र

विमानपत्तन निदेशक, कोलकाता/ चेन्नई

प्रधानाचार्य, नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज, बमरौली, इलाहाबाद

कार्यपालक निदेशक, आर सी डी यू/एफ आई यू/आई टी/भूमि प्रबंधन/आन्तरिक लेखा परीक्षा/प्रचालन

निदेशक, भारतीय विमानन अकादमी (निआमार), नई दिल्ली

कार्यपालक निदेशक, एच आर

अध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी

सदस्य (मानव संसाधन)/(योजना)/(ए एन एस)(प्रचालन)/(वित्त)/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव

महासचिव, ए ए ई यू

अधिकारियों की सभी एसोसिएशनें: महासचिव, ए ए ओ ए (आई)/आई ए ए आई ओ ए/ए सी ओ ए (आई)/ए टी सी गिल्ड (आई)/ए ए आई इंजीनियर्स गिल्ड (आई)/ए ए आई एस सी ए व एस टी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन